




राजस्थान सरकार
पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग

क्रमांक 19(2)पपा/2014/पार्ट.

जयपुर, दिनांक 19 DEC 2014


आदेश

राज्यादेश क्रमांक एफ.वी 13(6)(1)योजना/ गोसेनि/ब.घो./2013-14/ 5366 दिनांक 10.7.2013 के द्वारा गौ सेवा निदेशालय, राजस्थान का गठन किया गया। मंत्रीमण्डल सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 27(1)केबि/2014 दिनांक 13.3.2014 द्वारा गोपालन विभाग का गठन हुआ था। सचिवालय स्तर पर गठित गोपालन विभाग में एक रूपता की दृष्टि से "गौ सेवा निदेशालय" राजस्थान का नाम परिवर्तित कर "निदेशालय, गोपालन" राजस्थान एतद् द्वारा किया जाता है।


(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, गोपालन विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव (समस्त) राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1), आयोजना, वित्त (बजट), (राजस्व) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार लेखा शीर्ष परिवर्तन करने हेतु।
8. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग।
9. निदेशक, गोपालन विभाग।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियों में राज्य पत्र में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग।
12. निदेशक, आयुर्वेद राजस्थान अजमेर।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

उप निदेशक
पत्रावली पर
प्रस्तुत करे

04.
22/12/14

स.स.श्री.
04
22/12/14